संख्या:-83/2018/3377/33-3-2018-110/2012

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2018

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु समस्त जनपदों में वृहद पैमाने पर लाभार्थीवार शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कतिपय जनपदों से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि-

1- ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी एवं बाहरी व्यक्तियों, यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा सामुदायिक शौचालय की उपलब्धता न होने के कारण खुले मे शौच किये जाने की संभावना बनी रहती है।

2- ऐसे भी परिवार है, जिनके पास स्थान की उपलब्धता न होने के कारण शौचालय निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है। इस कारण इन परिवारों द्वारा भी खुले में शौच किए जाने की सम्भावना बनी रहती है।

3- बेस-लाईन सर्वे में छूटे हुए एवं सर्वे के उपरान्त बढ़े हुए परिवारों के पास भी शौचालयों की उपलब्धता न हो पाने के कारण इन परिवारों द्वारा भी खुले में शौचकिए जाने की सम्भावना बनी रहती है।

जनपदों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि उपर्युक्त कारणों से जनपदों को **ODF** (खुले में शौच मुक्त) घोषित करने के उपरान्त इसे **Sustain** करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-S-18011/7/2018-SBM दिनांक 29-08-2018 तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मार्ग-निर्देशिका में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सामुदायिक शौचालय परिसरों के निर्माण किये जाने की व्यवस्था उल्लिखित है। अत: ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण निम्न परिस्थितियों में कराया जा सकता है-

क. ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी एवं बाहरी व्यक्तियों, यात्रियों एवं श्रमिकों आदि हेतु, जिसमें कि परिसर के परिचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की होगी।

ख. ऐसे चिन्हित परिवार जिनके पास स्थान की उपलब्धता न होने के कारण शौचालय निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है, हेतु परिसर के परिचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से इन्हीं परिवारों की होगी। इस हेतु परिवारों के मध्य में आपसी सहमति की व्यवस्था बना ली जाय। विशेष परिस्थिति में परिचालन एवं अनुरक्षण ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा भी किया जा सकता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश-**195/33-3-2015-110/2012** दिनांक **06.02.2015** द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लिए प्रति इकाई अनुमानित लागत **2** लाख रूपये होगी, जिसमें केन्द्रांश रू. **1.20** लाख, राज्यांश रू. **0.60** लाख तथा पंचायत अंश रू. **0.20** लाख होगा। उक्त के अतिरिक्त पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं सी0एस0आर0 आदि मद के द्वारा भी सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया जा सकता है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराते हुए जनपदों को खुले में शौच मुक्त किये जाने की कार्यवाही करने का कश्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
3. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार लक्षकार)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।